UPVR040271172019

<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-1, वाराणसी।</u>

उपस्थितः-श्री विश्वजीत सिंह (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा) JO-UP1978

परिवाद सं०-1318/2018

श्रीमती राधा उर्फ राधिका देवी पत्नी जितेन्द्र कुमार उर्फ पंकज पुत्री श्यामलाल निवासिनी ग्राम बच्छांव थाना-रोहनियां, जिला वाराणसी।

----------परिवादिनी।

-ः:बनामः-

1- जितेन्द्र कुमार उर्फ पंकज पुत्र हरीराम उम्र 28 वर्ष।

2- हरीराम पुत्र गोगा उम्र-75 वर्ष।

3- श्रीमती सोनी देवी पत्नी हरीराम उम्र 70 वर्ष।

समस्त निवासीगण-उदयपुर थाना-चोलापुर, जिला वाराणसी।

----------**अभियुक्तगण।**

धारा-498 ए, 504 भा०दं०सं०,

धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।

<u>थाना-चोलापुर, जिला वाराणसी।</u>

<u>निर्णय</u>

परिवादी द्वारा उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध उसको भद्दी-भद्दी गालियां देने तथा दहेज में एक लाख रूपये की माँग करने तथा दहेज की माँग पूरी न करने पर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया है ।

सक्षेंप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि परिवादिनी का विवाह जितेन्द्र के साथ दिनांक 27-05-2016 को हुआ। परिवादिनी के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। कुछ दिन मायके से परिवादिनी के आने पर परिवादिनी का पति कहने लगा कि मैंने तुमसे शादी नहीं किया है। तुमको घर में नहीं रखेगे। परिवादिनी के ससुराल वाले दहेज में अतिरिक्त एक लाख रूपये की माँग की जाने लगी और यह भी कहते थे कि एक लाख रूपये नहीं लायोगी तो जितेन्द्र की दूसरी जगह शादी कर देंगे। उक्त माँग को लेकर विवाह जितेन्द्र के साथ दिनांक 27.05.2016 को हुआ। परिवादिनी के पिता ने अपनी सामर्थय के अनुसार दान दहेज दिया था। कुछ दिन बाद मायके से परिवादिनी के आने पर परिवादिनी का पति कहने लगा कि मैंने तुमसे शादी नहीं किया है। तुमको घर में नही रखेंगे। परिवादिनी के ससुराल वाले दहेज में अतिरिक्त एक लाख रूपये की माग की जाने लगी और यह भी कहते थे कि एक लाख रूपये नही लाओगी तो

जितेन्द्र की शादी दूसरी जगह कर देंगे। उक्त माँग को लेकर परिवादिनी को उसके ससुराल वाले मारने पीटने लगे। परिवादिनी अपने पति के साथ अपने दूसरे घर पर रहने लगी। दिनाक 28.03.2018 को सास, ससुर, जेठ व जेठानी व देवर व पति सभी विपक्षीगण उसके दूसरे वाले घर पर आ कर पुनः मारे पीटे, जिससे उसे काफी चोटे आयी। परिवादिनी थाने गयी तो दरोगा जी ने विपक्षीगण को समझा बुझा कर सुलहनामा लिखवाया। कुछ दिन बाद पुनः उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 16.11.2018 को वह अपने मायके चली आयी। दिनांक 12.02.2019 को अपने पिता के साथ अपने ससुराल गयी। ससुराल वाले एक लाख रूपये की मांग करने लगे और गन्दी गन्दी गाली देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। जितेन्द्र की शादी दूसरी जगह करने की बात कहते हुए मार पीट कर भगा दिये। न्यायालय में परिवादपत्र प्रस्तुत किया। धारा-200 व धारा-202 दं०प्र०सं० के बयान के उपरांत आरोपीगण को धारा-498ए, 504 भा०दं०सं० व धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के विचारण हेतु तलब किया गया।

आरोपीगण के न्यायालय उपस्थित आने पर धारा 244 दं०प्र०सं० का बयान लेखबद्ध किया गया। इसके पश्चात आरोप विरचित किया गया व धारा 246 द०प्र०स० का बयान लेखबद्ध किया गया। अभियोंजन की ओर से घटना के समर्थन में साक्षी पी डब्ल्यू-1 राधा उर्फ राधिका व पी०डब्लू०-2 श्यामलाल को सशपथ परिक्षित कराया है। एन.सी.आर. प्रदर्श-क-1 प्रस्तुत किया गया।

धारा-313 द०प्र० स० के बयान मे आरोपीगण द्वारा अपराध से इंकार किया तथा कथन किया गया कि वह निर्दोष व उन्हें झुठा फसाया गया है।

परिवादी की ओऱ से प्रस्तुत मौखिक साक्षी पी० डब्लू०-1- राधार उर्फ राधिका, जो इस मुकदमे में स्वयं परिवादिनी है, ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० में घटना का समर्थन किया है किन्तु धारा-246 दं०प्र०सं० में जिरह में यह कथन किया है कि उसका विवाह दिनांक 27-05-2016 को जितेन्द्र उर्फ पंकज के साथ हुआ था। उसके ससुराल वाले उसके ससुर हरिराम, सास सोनी देवी, पति जितेन्द्र उर्फ पंकज कभी भी उससे दहेज की माँग नहीं किये न ही दहेज के लिये मारे पीटे थे और नही प्रताड़ित किये थे और न ही जान से मारने की धमकी दिये थे। हम लोगों मे आपसी मन मोटाव हो जाने के कारण लोगों के कहने पर यह मुकदमा कायम कराया था। उसके और उसके ससुराल वालों के बीच आपसी सुलह समझौता हो गया है। पारिवारिक न्यायालय में हम दोनों की सहमति से 13 बी का मुकदमा दाखिल है। अब हम लोग आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं और न ही कोई गवाह देना चाहते हैं।

परिवादिनी की ओऱ से प्रस्तुत मौखिक साक्षी पी० डब्लू०-2- श्यामलाल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० में घटना का समर्थन किया है किन्तु धारा-246 दं०प्र०सं० में जिरह में यह कथन किया है कि उसकी लड़की का विवाह दिनांक 27-05-2016 को जितेन्द्र उर्फ पंकज के साथ हुआ था। अभियुक्त जितेन्द्र, हरिराम, सोनी देवी व उसके परिवार के सदस्य कभी भी उससे तथा उसके परिवार से दहेज की माँग नहीं की थी और न ही दहेज के लिये उसकी लड़की को प्रताड़ित किये थे और न ही मारे पीटे थे और न ही जान से मारने की धमकी दिये थे। यह कहना सही है कि उसकी लड़की राधा व जितेन्द्र के मध्य विवाह विच्छेद का मुकदमा आपसी सहमति से पारिवारिक न्यायालय में दाखिल है। हम लोगों के बीच आपस में सुलह समझौता हो गया है। अब आगे हम मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं।

सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू-1 व पी०डब्लू०- 2 द्वारा जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। जिरह में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उससे दहेज में एक लाख रूपये की माँग नहीं की थी और न ही उक्त माँग को लेकर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था और न ही उसको भद्दी-भद्दी गालियाँ दिया था।. आरोपीगण द्वारा अभियोजन दस्तावेज को स्वीकार किया है किंतु मात्र दस्तावेज स्वीकार किये जाने के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। जब तक कि अभियोजन साक्षी द्वारा घटना का समर्थ न किया गया हो अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू-1 व पी०डब्लू०-2 द्वारा जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है।

उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट अभियोजन साक्षी के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है। ऐसे स्थिति में साक्षी के साक्ष्य विश्वसनीय व अखण्डनीय नहीं माना जा सकता है। अभियोजन अपने मामले को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण सन्देह के आधार पर उपरोक्त धाराओं मे दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **जितेन्द्र कुमार उर्फ पंकज, हरीराम, श्रीमती सोनी देवी** को परिवाद सं०-1318/2018 अन्तर्गत धारा-498ए, 504 भा०दं०सं० व धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनिमय थाना चोलापुर के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं अतैव उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतदारों को प्रतिभूति से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 07-04-2022

(विश्वजीत सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं०-1, वाराणसी।

निर्णय मेरे द्वारा स्वटकित शुद्धित हस्तक्षरित होकर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांक-07-04-2022

(विश्वजीत सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं०-1, वाराणसी।

आशुलिपिकः-रीना चौहान